FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

समक्ष - माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म0प्र0)

रा. निगरानी क्रमांक सन् 2002

R 1417-II/2002

1. रामकुमार मिश्रा
2. राजकुमार मिश्रा
3. राजेश कुमार मिश्रा
4. धीरेन्द्र कुमार मिश्रा नाबालिग
5. भरत कुमार मिश्रा नाबालिग

पुत्र गण श्री रामस्वरूप मिश्रा

आवेदक क्रमांक 4 एवं 5 नाबालिग द्वारा सरंक्षक पिता श्री रामस्वरूप मिश्रा तनय श्री भगवती प्रसाद मिश्रा आवेदक क्रमांक एक लगायत पांच समस्त निवासी ग्राम-बिलहरी तहसील-नौगाँव जिला-छतरपुर (म.प्र.) - आवेदक गण

बनाम

परमलाल तनय श्री बलुआ चमार निवासी ग्राम-बिलहरी तहसील-नौगाँव जिला-छतरपुर (म.प्र.) - अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 5.6.2002 जो न्यायालय श्रीमान् अति. आयुक्त महोदय सागर सम्भाग सागर (म.प्र.) ने अपील क्र. 447 अ/27 वर्ष 1998-99 रामकुमार मिश्रा आदि बनाम परमलाल चमार ने पारित किया है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता

महोदय,

आवेदकगण सादर विनय करता है।

1. यह कि इस निगरानी में आगे न्यायालय श्रीमान् अति.कमिश्नर महोदय सागर सम्भाग सागर (म.प्र.) को माननीय "अधीनस्थ" न्यायालय के नाम से सम्बोधित कर लेख किया गया है।

निगरानी के तथ्य

संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है।

1. यह कि भूमि खसरा क्रमांक 2881, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2199, 2200, 2201, 2202 कुल किता 26 रकवा 8.075 हैक्टेयर लगामी 44.43 रुपया स्थित ग्राम-बिलहरी तहसील-नौगाँव जिला-छतरपुर (म.प्र.)

2. आवेदक गण एवं अनावेदक गण की शामलाती भूमि की किन्तु आवेदक गण ने अपनी भूमि की उन्नति करने की गर्ज से एवं आगे चलकर कोई विवाद न रहे इस कारण से राजस्व बटवारा हेतु दिनांक 11.2.92 को माननीय तहसीलदार महोदय नौगांव की न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया जिसका रा.प्र.क्र. 7/अ27/91ग92 है। ये विधिवत इस्तहार जारीकर एवं अनावेदक नोटिस तामीली हुआ और दिनांक 11.9.92 को अनावेदक नोटिस तामीली के पश्चात् उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई इसी दौरान अनावेदक ने भी दिनांक 29.4.92 को बटवारा हेतु माननीय तहसील महोदय नौगांव के समक्ष आवेदन पत्र दिया जिसका प्रकरण क्रमांक 7/अ29/91ग 92 है पर दर्ज होकर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-16	आवेदक अभि० श्री ब्रजकिशोर श्रीवास्तव उप०। अनावेदक अभि० श्री कुँवर सिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक अभि० द्वारा निवेदन किया कि पक्षकार से कोई निर्देश प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को इसी स्टेज पर समाप्त कर दिया जावे। आवेदक अभि० का निवेदन स्वीकार किया गया। प्रकरण आहूत न होने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर दा० दफ्तर हो। [illegible] सदस्य	[illegible] [illegible] 5/7/16 विचाराधीन प्रकरण चलाना नहीं चाहता [illegible] 5/6

[illegible]